बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

आदेश संख्या –11/विविध–03–02/2015– पटना, दिनांक–

आदेश

मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया, औरंगाबाद द्वारा जल संसाधन विभाग के निबंधन संख्या –सिंचाई 01बी–571/97 के आधार पर लघु जल संसाधन विभाग में नलकूप प्रमण्डल, डिहरी के अधीन नाबार्ड फेज–3 के अन्तर्गत राजकीय नलकूप कर्मा एवं अकोढ़ी का कार्य कराया गया था। उक्त कार्य में संवेदक कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी कर भुगतान प्राप्त करने से सम्बन्धित मामले की जॉच लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कराई गई और पदाधिकारियों से मिलीभगत कर भुगतान प्राप्त करने का मामला उजागर होने पर उनके विरूद्ध थाना काण्ड संख्या –29/03 अकोढ़ी गोला रोहतास तथा थाना काण्ड संख्या –235/03 थाना–सासाराम में दर्ज हुआ। उसकी सूचना लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक–918 (मो0) दिनाकं – 15.06.15 से देते हुए संवेदक के निबन्धन को काली सूची में डाले जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया, औरंगाबाद के विरूद्ध प्राप्त आरोप बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम–11(का)(II) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में पाते हुए उनसे विभागीय पत्रांक –3101 दिनांक –02.07.15 द्वारा कारण –पृच्छा किया गया। संवेदक का कारण –पृच्छा पत्रांक –0 दिनांक –16.07.15 से प्राप्त हुआ।

संवेदक द्वारा कारण –पृच्छा में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यों एवं इस सम्बन्ध में उनके पदाधिकारियों द्वारा हुए पत्राचारों तथा थाना काण्डों में आरक्षी अधीक्षक, डिहरी द्वारा समर्पित अनुसंधान प्रतिवेदन में संवेदक श्री राजकुमार सिंह दोषी नही होने का जिक किये जाने के कारण इन अभिलेखों को लघु जल संसाधन विभाग भेजते हुए विभागीय पत्रांक –3409 दिनांक –22.07.15 द्वारा लघु जल संसाधन विभागीय मंतव्य मॉगा गया।

उपर्युक्त के संदर्भ में लघु जल संसाधन द्वारा पत्रांक –1260 दिनांक –27.07.15 द्वारा अपने विभागीय पत्रांक –1961 दिनांक–12.04.13 के आलोक में संवेदक को काली सूची में डाले जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई ।

लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1961 दिनांक –12.04.13 में उल्लेख किया गया है कि राजकीय नलकूप कर्मा, प्रखण्ड सासाराम में रू0 8.56 लाख के विरूद्ध कार्य पूर्ण दिखा कर रू० 8.70 लाख प्राप्त किया गया था जबकि मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, रू० 5.14 लाख का भुगतान बिना कार्य कराए हुआ था। इसी प्रकार राजकीय नलकूप, अकोढ़ी में एकरारनामा के अनुसार, रू० 8.53 लाख के विरूद्ध कार्य पूर्ण दिखाकर रू० 8.68 लाख भुगतान हुआ था, जबकि मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, रू० 4.64 लाख का भुगतान बिना कार्य कराये हुआ था।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं लघु जल संसाधन विभाग के अनुशंसा के आलोक में मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया, औरंगाबाद के निबन्धन संख्या –29/2011 (श्रेणी–प्रथम) को बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली –2007 के नियम –11(ग) के प्रावधान के तहत काली सूची में डाला जाता हैं।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मध्य),

जल संसाधन विभाग, पटना।

क०प०उलटे–

ज्ञापांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, पार्टनर—श्री राजकुमार सिंह, मु0— बाल बिहार स्कूल के पीछे, पो०+जिला—औरंगाबाद, पिन—824101 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/—
अभियंता प्रमुख (मध्य),
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियंता (मु0), अनुश्रवण, लधु जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक —958 (मो0) दिनांक —18.06.15 एवं पत्रांक —1260(मो0) दिनांक—27.07.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
अभियंता प्रमुख (मध्य),
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः— 3571　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक— 30.7.15

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लधु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, 2,3,4 एवं बाढ़ मोनिटरिंग अंचल/निदेशक, कय भंडार एवं सामग्री प्रबन्धन,जल संसाधन विभाग, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/15
अभियंता प्रमुख (मध्य),
जल संसाधन विभाग, पटना।